अध्याय 4

संचार व्यवस्था का आधुनिकीकरण

अध्याय 4

संचार व्यवस्था का आधुनिकीकरण

4.1 प्रस्तावना

कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए पुलिस एवं प्रशासन को त्वरित एवं सुरक्षित संचार उपलब्ध कराने के लिए रेडियो मुख्यालय जिम्मेदार है। एक दक्ष अन्तर जनपद एवं अन्तरा जनपद संचार व्यवस्था की उपलब्धता इसे सुनिश्चित करना है। अन्तरा जनपद संचार थानें, चौकियों, मोबाइल इकाई, जिला पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को जोड़ता है जिसके लिए जिला मुख्यालयों पर पुलिस रेडियो नियंत्रण कक्ष स्थापित होते हैं जो 24 घन्टे सक्रिय रहते हैं। अन्तर जनपदीय संचार के लिए प्रत्येक जनपद एवं राज्य रेडियो मुख्यालय पर रेडियो केन्द्र स्थापित हैं। राज्य मुख्यालय जोनल एवं रेंज मुख्यालयों से जुड़ा होता है जो एक दूसरे से एवं जिला मुख्यालयों से जुड़े होते है। पुलिस एवं प्रशासन में उपयोग के किए अति गोपनीय संचार भी रेडियो विभाग द्वारा भेजे जाते हैं।

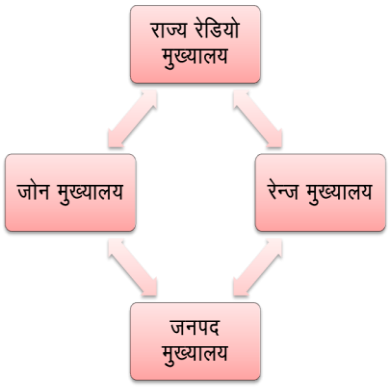

अंतर जनपद संचार प्रणाली

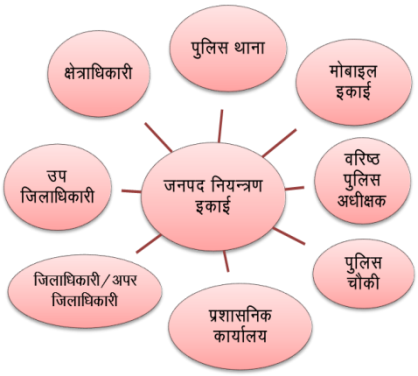

अंतरा जनपद संचार प्रणाली

4.2 विभाग द्वारा उपयोग में लाये जाने वाली संचार प्रणालियाँ

रेडियो टेलीफोन एवं रेडियो टेलीग्राफी का एक नियंत्रित नेटवर्क विभाग द्वारा विकसित किया गया है। विभाग उपयोग में लाता है :

उच्च तीव्रता (एच एफ) प्रसार तंत्र– यह एक अन्तरा जनपद संचार प्रसार तन्त्र है। सभी जिले एवं परिक्षेत्रीय मुख्यालय बेतार टेलीग्राफी द्वारा एचएफ रेडियो का उपयोग करते हुए राज्य मुख्यालय से जुड़े है।	

अति उच्च तीव्रता प्रसार तंत्र (वी एच एफ)– यह एक अन्तर जनपदीय प्रसार तन्त्र है जिसके द्वारा जिला मुख्यालयों पर स्थित नियंत्रण कक्षों से वेतार टेलीफोन द्वारा थाना, चौकियां, जिला पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी जुड़े होते हैं।	
परिक्षेत्रीय रिपीटर– परिक्षेत्रीय रिपीटर वी एच एफ रेडियों टेलीफोन संचार के दायरे को बढ़ाते हैं एवं परिक्षेत्रीय पुलिस अधीक्षक से बात करने के लिए उपमहानिरीक्षक को सक्षम बनाते है।	
बेतार आधारित सार्वजानिक संबोधन प्रणाली– धार्मिक एवं अन्य महत्पूर्ण स्थानों पर भीड़ नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए जिला पुलिस द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली यह सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली हैं।	
पुलिस संवाद प्रसार तंत्र (पोलनेट):–यह सेट लाइट आधारित अंतर एवं अन्तरा जनपद प्रसार तंत्र है। पोलनेट संचार प्रणाली मात्र संचार अभिव्यक्ति का साधन ही नहीं है बल्कि यह कम्प्यूटर अनुयोजकता, आंकड़ा संवाद एवं फैक्स भी प्रदान करता है।	
बन्द परिपथ टेलीवीजन (सी सी टी वी)– यह धार्मिक एवं अन्य संवेदशील स्थलो पर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की देखरेख के लिए वीडियों निगरानी हेतु उपयोग में आते हैं।	
कम्प्यूटर सहायतित डिस्पैच प्रणाली (सी ए डी एस)– यह एक आवाहन केन्द्र की तरह कार्य करता है जिसमें प्रभावित व्यक्ति आवाज आवाहन, एस एम एस, ईमेल द्वारा केन्द्र से पुलिस सहायता हेतु सम्पर्क करता है। जी पी एस सुसज्जित पुलिस गाड़िया ढूढ़कर पीड़ित व्यक्ति तक पहुचने के लिए निर्देशित की जाती है।	

4.3 संचार उपकरण की प्राप्ति

रेडियो मुख्यालय ने भारत सरकार की पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत संचार प्रणाली के सुदृढ़ीकारण के लिए ₹ 198.21 करोड़ की आवश्यकता आधारित

योजना विचारार्थ प्रस्तुत किया (जनवरी 2010) जो 2011–16 की अवधि में कार्यान्वित की जानी थी। योजना के अनुसार संचार प्रणालियॉ वार्षिक रूप से सुदृढ़ की जानी थी एवं कमियाँ वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्त तक दूर की जानी थी। 2011–16 की अवधि में बजट की आवश्यकता, प्रस्तावित आबंटन एव किया गया व्यय नीचे की सारणी में दिये गये है:

सारणी 4.1: पुलिस बल आधुनिकीकरण के अंतर्गत आबंटन एवं व्यय विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आवश्यकता	आबंटन	व्यय	समर्पण प्रतिशत
2011-12	44.54	31.76	6.69	25.07 (79)
2012-13	53.76	28.00	5.94	22.06 (79)
2013-14	40.72	29.89	13.86	16.03 (54)
2014-15	25.28	33.86	17.32	16.54 (49)
2015-16	33.91	13.00	11.82	1.18 (9)
योग	**198.21**	**136.51**	**55.63**	**80.88 (59)**

(**स्रोतः** रेडियो मुख्यालय, लखनऊ)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि ₹ 198.21 करोड़ की आवश्यकता के विरूद्ध रेडियो मुख्यालय ने ₹ 136.51 करोड़ संचार उपकारणों की खरीद के लिए प्राप्त किया परन्तु विभाग आबंटन का मात्र 41 प्रतिशत उपयोग कर सका। विभाग द्वारा क्रय आदेश का अंतिमीकरण न कर पाने के कारण निधि का उपयोग नहीं किया जा सका एवं इस प्रकार निधियों का उपयोग करने में असफल रहने के कारण पुलिस बल आधुनिकीकारण योजना के अर्न्तगत उपकरणों के क्रय की योजना बुरी तरह प्रभावित हुई एवं लक्ष्य के विरूद्ध उपकरणों की प्राप्ति की उपलब्धियां बहुत कम रहीं। संचार यंत्रों जैसे कि वी एच एफ सेट, एच एफ सेट, वी एच एफ हैण्ड हेण्ड सेट, वी एच एफ रिर्पोटर, कार्यक्रम इकाइयां इत्यादि की कमी लक्ष्य (2011–16) के विरूद्ध 50से 100 प्रतिशत रही। महत्वपूर्ण संचार उपकरणों के लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियां नीचे दिये गये चार्ट में दर्शायी गयी है तथा इनका विवरण ***परिशिष्ट 4.1*** में दिया गया है।

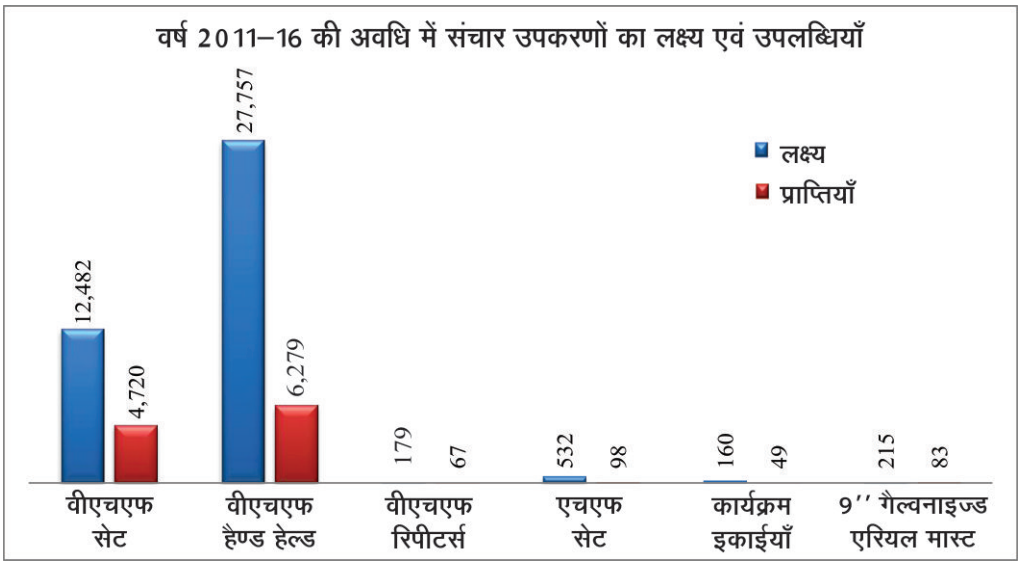

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (फरवरी 2017) कि क्रय नहीं किये जा सके क्योंकि विभिन्न वर्षों की पूर्ण आधुनिकीकरण योजनायें स्वीकृत नहीं थीं एवं सभी मदें राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति एवं भारत सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित नहीं थीं। शासन ने यह भी बताया कि क्रय आधुनिकीकरण योजना के

अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप प्राप्त स्वीकृतियों के अनुसार किये जाते हैं। पुनः शासन ने बताया कि मानदण्डों के अनुसार निविदायें बार–बार आमंत्रित की गई थी। क्रय वित्तीय वर्ष 2011–12 में नहीं किये जा सके क्योंकि विधायी चुनाव 2012 की आचार संहिता लागू हो गई थी।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अन्य वर्षों जैसे कि वर्ष 2011–12 से 2014–15 में भी बड़ा समर्पण था। आवश्यकता के अनुसार प्रस्ताव भेजना एवं इसके अनुमोदन की जिम्मेदारी विभाग एवं शासन की है। वित्तीय नियमों के अनुसार खुली निविदा की हमेशा अनुमति रहती है चाहे डी.जी.एस.एंड डी. दर अनुबंध उपलब्ध हो अथवा नहीं।

4.4. हैण्ड हेल्ड सेटों की कमी

प्रभावी संचार के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास व्यूरो ने क्षेत्र इकाइयों के लिए प्रति तीन पुलिस जन के लिए एक वी एच एफ हैण्ड हेल्ड का मानदण्ड अनुसंशित किया था। जनवरी 2015 को 1,36,577 आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी उपलब्ध थे। अतः मानदण्ड के अनुरूप स्वीकृत पदों के विरूद्ध 1,01,341 हैण्ड हेल्ड सेट एवं उपलब्ध आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी के जनशक्ति के विरूद्ध 45,525 हैण्ड हेल्ड सेट उपलब्ध होने चाहिए थे।

हैण्डहेल्ड सेट

जबकि, जुलाई 2016 तक केवल 23,814 हैण्ड हेल्ड सेट (52 प्रतिशत) उपलब्ध थे एवं कमी उपलब्ध जनशक्ति के सापेक्ष 21,711 सेट (48 प्रतिशत) की एवं स्वीकृत जनशक्ति के सापेक्ष देखा जाय तो 76 प्रतिशत थी। पुनः उपलब्ध 23,814 हैण्ड हेल्ड सेट में से मात्र 16,119 सेट क्षेत्रीय इकाइयों में बांटे गये थे एवं 7,695 सेट भण्डार में रिजर्व के रूप में रखे गये थे। इस प्रकार हैण्ड हेल्ड सेट की क्षेत्र इकाइयों में वास्तविक उपलब्धता उपलब्ध जनशक्ति के विरूद्ध मात्र 16,119 (39 प्रतिशत) एवं स्वीकृत जन शक्ति के विरूद्ध 16 प्रतिशत थी।

पुनः बी0पी0आर0 एण्ड डी0 आँकड़े से उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी 2016 तक 51 थानों के पास टेलीफोन नहीं थे एवं 17 थाने बिना बेतार सुविधा के चल रहे थे।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2017) कि पुलिस बल की भरे हुए पद की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मानदण्डों के अनुसार प्रस्ताव तैयार किये गये थे। 13,970 हैण्ड हेल्ड की प्राप्ति की प्रक्रिया प्रगति में थी एवं 14,445 हैण्ड हेल्ड सेट की प्राप्ति वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रस्तावित थी। 7,695 सेटों को भण्डार में रखने के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया था। 51 थानों में टेलीफोन एवं 17 थानों में बेतार सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कोई प्रयास नहीं किये गये थे।

4.5 आयु पूरी कर चुके संचार सेटों की सूची

संचार सेट की उपलब्ध संख्या 50,216 थी जिसमें से 33,089 सेट क्षेत्र इकाइयों में लगाये गये थे एवं अवशेष 17,127 सेट सुरक्षित रखे गये थे जैसाकि नीचे की सारणी में दिया गया है:

सारणी 4.2: संचार उपकरणों की उपलब्धता

उपकरण	उपलब्धता	तैनात	रेडियों मुख्यालय लखनऊ भण्डार में उपलब्ध					आयु पूर्ण	शुद्ध सक्रिय
			क्रियाशील	खराब	अव्यवहार्य	निष्प्रयोज्य	योग		
वीएचएफ सेट	21,645	14,785	2,612	24	1,683	2,541	6,860	15,124	6,521
वीएचएफपीए सेट	1,375	1,370	0	0	5	0	5	202	1,173
वीएचएफ बैकपैक सेट	948	948	0	0	0	0	0	269	679
वीएचएफ रिर्पोटर	214	134	2	0	47	31	80	147	67
आरओआइपी	9	9	0	0	0	0	0	0	9
यू एवं एफ सेट	12	0	0	0	9	3	12	12	0
हैण्ड हेल्ड सेट	25,327	15,412	2,582	30	4,217	3,086	9,915	17,518	7,809
एचएफ सेट	644	431	17	0	64	132	213	546	98
एचएफ बैकपैक सेट	42	0	0	0	42	0	42	42	0
योग	**50,216**	**33,089**	**5,213**	**54**	**6,067**	**5,793**	**17,127**	**33,860**	**16,356**

(**स्रोतः** रेडियो मुख्यालय, लखनऊ)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि कुल 50,216 सेटों के स्वामित्व के विरूद्ध 33,089 सेट क्षेत्रीय इकाइयों में तैनात थे एवं 17,127 सेट भण्डार में जमा थे, 33,860 सेट जीवन अवधि पूरी कर चुके थे एवं केवल 16,356 सेट सक्रिय थे जिसमें से 5,213 सेट भण्डार में रखे गये थे। जीवन पूरी कर चुके सेटों को बदलने की आवश्यकता थी परन्तु ये क्षेत्रीय इकाइयों में अभी भी उपयोग में लाये जा रहे थे क्योंकि नये सेट क्रय नहीं किये गये थे। 2009 के बाद सेटो को बदला नहीं गया था। पुनः सुरक्षित रखे गये 17,127 सेटों में से केवल 5,213 सेट सक्रिय थे एवं 6,067 सेट उपयोगी नहीं थे। अनुपयोगी सेटों का मूल्य ₹ 7.62 करोड़ था। इस प्रकार 50,216 संचार उपकरणों में से केवल 16,356 सेट (33 प्रतिशत) सक्रिय थे एवं शेष 67 प्रतिशत अनुपयोगी, निष्प्रयोज्य अथवा अपनी आयु पूरी कर चुके थे।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2017) कि कानून व्यवस्था के विचार से वे सक्रिय सेट जो अपनी आयु पूरी कर चुके है, भण्डार में क्षेत्रीय इकाइयों/जनपदों से वापस नहीं किये जाते है जब तक कि उन्हें इन सेटों के स्थानापन्न नहीं मिल जाते है।

इस प्रकार शासन ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि अपनी आयु पूरी कर चुके सेटों का उपयोग विभाग में किया जा रहा था।

4.6 स्पेक्ट्रम (तरंग)प्रभार पर ₹ 57.66 करोड़ का परिहार्य व्यय।

संचार उद्देश्यों के लिए प्रयोग किये जा रहे बेतार सेटों पर तरंग प्रभार की उगाही से सम्बन्धित एक ज्ञापन, भारत सरकार के संचार मंत्रालय की बेतार योजना एवं समन्वय (डब्ल्यूपीसी) शाखा ने जारी किया (अप्रैल 2004)। ज्ञापन के अनुसार सभी सरकारी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को डब्ल्यू पीसी शाखा को वार्षिक तरंग प्रभार (लाइसेंस फीस एवं रायल्टी) का भुगतान करना था। तरंग प्रभार के तय तिथि तक भुगतान की असफलता के मामलो में दो प्रतिशत प्रति माह की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि के साथ विलम्ब शुल्क का भुगतान किया जाना था।

अभिलेखों की जांच से प्रकाश में आया कि भारत सरकार के संचार मंत्रालय की डब्ल्यू पी सी शाखा की मांग एवं संचार मुख्यालय के लगातार अनुरोध के बावजूद तरंग प्रभार के भुगतान के लिए बजट का प्रावधान 2011–12 से 2014–15 तक नहीं किया गया। समय से तरंग प्रभार के भुगतान में असफलता के कारण डब्ल्यू पी सी द्वारा 2004–05 से 2016–17 तक ₹ 104.47 करोड़ का बिलम्ब शुल्क लगाया गया जिसमें से ₹ 57.66 करोड़ का भुगतान विभाग द्वारा भारत सरकार को सितम्बर 2015 में किया गया। यदि विभाग ने समय से कार्यवाही किया होता एवं वार्षिक रूप से बजट में निधियां दी होती, ₹ 57.66 करोड़ के विलम्ब शुल्क के भुगतान से बचा जा सकता था।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2017) कि भारत सरकार को अगस्त अगस्त 2016 में ₹ 0.89 करोड़ एवं अक्टूबर 2016 में ₹ 30.48 करोड़ का भुगतान सम्पूर्ण तरंग प्रभार के रूप में किया गया था। परन्तु शासन ने विलम्ब से भुगतान के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया जिसके कारण 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क, वार्षिक रूप से चक्रवृद्वि के साथ, ₹ 104.47 करोड़ की धनराशि डब्ल्यू पी सी द्वारा अधिरोपित की गई एवं विभाग द्वारा इसका भुगतान किया गया। यदि विभाग ने तरंग प्रभार का भुगतान समय से कर दिया होता तो यह टाला जा सकता था।

4.7 बिना अनुज्ञापत्र बेतार सेटों का उपयोग

भारत सरकार की दूरसंचार नीति के अनुसार, राज्य पुलिस बलों को समिलित करते हुए सभी बेतार उपयोग–कर्ताओं के द्वारा, बेतार उपकरणों के उपयोग के लिए अनुज्ञापत्र लिया जाना था। बेतार उपकरणों के लिए नये अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए उपयोग कर्ता विभाग संचार मंत्रालय को निवेदन प्रस्तुत करते हैं। निवेदन की जांच के पश्चात्, संचार मंत्रालय निष्ठापत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) जारी करता है एवं विशेष दरों पर तरंग प्रभार की मांग करता है। उपयोग कर्ता विभाग को एक माह के अन्दर इन प्रभारों का भुगतान करना रहता है अन्यथा निष्ठा–पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) रद्द हो जाता है एवं उपयोग कर्ता विभाग से नये निवेदन करना अपेक्षित रहता है। विशेष प्रभार का भुगतान करने के पश्चात, मंत्रालय द्वारा सिद्वान्त सहमति (एग्रीमेंन्ट इन प्रिंसिपिल) जारी किया जाता है जिसके पश्चात उपयोग कर्ता बेतार उपकरणों के क्रय एवं उपयोग के लिए अधिकृत हो जाता है।

अभिलेखों की जांच से प्रकाश में आया कि उत्तर प्रदेश पुलिस की संचार शाखा ने विभिन्न प्रकार के 1,486 सेट के लिए नवम्बर 2013 में एवं 1,189 सेटों के लिए अक्टूबर 2014 में निष्ठापत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) जारी करने के लिए आवेदन किया। संचार मत्रांलय ने इन विधियों के लिए निष्ठापत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) जारी किया एवं लाइसेंस शुल्क के रूप में क्रमशः ₹ 0.52 करोड़ एवं ₹ 0.39 करोड़ की मांग की। विभाग, इस धनराशि का भुगतान अनुसूचित अवधि में करने में असफल रहा जिससे निष्ठापत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) कालातीत हो गये। उत्तर प्रदेश पुलिस की संचार शाखा ने 4,374 अतिरिक्त सेटों के लाइसेस के लिए पुनः 2014–16 में आवेदन किया परन्तु लाइसेंस निर्गत नहीं किये गये थे। परन्तु सम्प्रेक्षा ने पाया कि पुलिस विभाग ने बेतार विधियों का क्रय किया एवं वांछित लाइसेंस प्राप्त किये बिना इनका उपयोग कर रहा था।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2017) कि भारत सरकार के संचार मंत्रालय से रेडियो केन्द्रों के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया जटिल एवं समयबद्ध है जिसके अंतर्गत तरंग प्रभार के भुगतान के लिए अनुज्ञेय समय केवल 30 दिन है। इस सीमित

समय में तरंग प्रभार के रूप में प्राक्कलित बड़ी धनराशि की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है जिसके परिणाम स्वरूप विभाग बार–बार प्रक्रिया को दोहराता है।

उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं था क्योंकि नियमतः राज्य पुलिस बेतार उपकरणों के उपयोग के लिए लाइसेंस लेने के लिए अपेक्षित है जो नहीं किया गया था।

4.8 उपयोगी जीवन काल पूरा कर चुके उपकरणों की प्रतिस्थापना

अपना उपयोगी जीवनकाल पूरा कर चुके उपकरणों[5] का क्रय करने के लिए ₹ 45.04 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मार्च 2014 में प्रदान की गई। फिर भी क्रय नहीं किये गये क्योंकि क्रय आदेशों का अन्तिमीकरण नहीं किया गया था अतः धनराशियाँ समर्पित कर दी गईं। पुनः सितम्बर 2014 में इन उपकरणों की प्राप्ति के लिए ₹ 43.54 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई परन्तु नयी स्वीकृति के अनुसार मात्रा घटा दी गयी इस मध्य ₹ 2.07 करोड़ के प्रशासनिक शुल्क के साथ अनुबन्ध प्रक्रिया एवं आपूर्ति आदेश के अन्तिमीकरण के लिए वाहय ठेका हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम "श्रीटान इण्डिया लि0" को नियुक्त किया गया एवं सलाहकार फर्म द्वारा निविदा प्रक्रिया पूरी कर दी गई। फिर भी फर्म को अभी तक भुगतान निर्गत किया जाना है। तथ्य यह था कि वांछित विधियाँ 2015–16 तक प्राप्त नहीं की जा सकी थी। एच0एफ0 एवं वी0एच0एफ0 सेटों का न होना विभाग में सन्देशों के प्रेषण को प्रभावित कर सकता था। सम्प्रेक्षा ने आगे पाया कि अप्रयुक्त ₹ 43.54 करोड़ की धनराशि पुलिस आवास निगम के पी0एल0ए0 में जमा की गई थी जिसमें से ₹ 4.07 करोड़ डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर अनुबन्ध पर एस0एम0एफ0 हैवी ड्यूटी बैटरी के क्रय के लिए 2016–17 में उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष के बन्दी के बाद पी0एल0ए0 में धनराशि रखना नियमों के अंतर्गत अनुमन्य नहीं था एवं इस प्रकार निधियों को रोके रखने का विभाग का कृत्य अनियमित था।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2017) कि शान्ति व्यवस्था के विचार से वे क्रिया शील सेट यद्यपि कि इन्होने अपनी आयु पूरी कर ली है इकाइयों/जिलों से भण्डार में वापस नहीं किये जाते हैं जब तक कि इन सेटों के स्थानापन्न पाप्त नहीं हो जाते है।

इस प्रकार शासन ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि संचार सेट जो अपनी उपयोगी आयु पूरी कर चुके थे विभाग में उपयोग किये जा रहे थे।

4.9 पुलिस दूरसंचार संजाल (पोलनेट)

पोलनेट एक उपग्रह आधारित संचार प्रणाली है जो गृह मंत्रालय द्वारा राज्य के 56 जिलों में स्थापित की गई थी (2003–04) यह सुविधा भारत सरकार द्वारा सभी राज्य बलों एवं केन्द्रीय बलों को उपलब्ध कराई गई थी एवं नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय हब (केन्द्र) स्थापित किया गया था। वर्ष 2003–04 में स्थापित पोलनेट वी सेट के 56 सेटों के लिए लागत ₹ 3.10 करोड़ थी।

[5] वीएचएफ सेट–8192, हैण्ड हैल्ड सेट–10574, एफ सेट–438, बैट्री–10578।

आपदा प्रबन्धन के लिए यह प्रणाली अधिक विश्वसनीय एवं प्रभावी थी। संचार सेवाएं राज्य एवं केन्द्रीय पुलिस बलों के मध्य, सामान्य संचालन के साथ–साथ विशेष घटनाओं यथा चुनाव, अति महत्वपूर्ण लोगों के आवागमन, न्यायालयी मामलों, विदेशी नागरिकों एवं अन्य संवेदनशील मामलों के लिए शान्ति व्यवस्था से सम्बन्धित संदेशों के आदान प्रदान के लिए उपयोग में लाये जा रहे थे। पोलनेट 2006 से कार्य करना प्रारम्भ किया था।

सम्प्रेक्षा ने पाया कि स्थापित 56 पोलनेट के विरूद्ध केवल 38 (67 प्रतिशत) क्रियाशील थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विभाग द्वारा वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध (ए0एम0सी0) का अंतिमीकरण नहीं किया गया था। ए0एम0सी0 के अभाव में 18 जिलों में पोलनेट कार्य करना बन्द कर दिया था।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2017) कि पोलनेट मेसर्स भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के साथ ए0एम0सी0 के अन्तर्गत मरम्मत किये जा रहे थे। यद्यपि मेसर्स भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने ए0एम0सी0 इन्कार कर दिया क्योंकि अनुरक्षण के लिए अतिरिक्त कल पुर्जे बाजार में उपलब्ध नहीं थे। अब पोलनेट प्रणाली का उच्चीकरण भारत सरकार के स्तर पर प्रक्रिया में था जिसके अन्तर्गत 56 जिलों में पूर्व में स्थापित की गयी पोलनेट प्रणाली का उच्चीकरण एवं 19 जिलों में नये पोलनेट केन्द्रों की स्थापना, पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में रेडियो मुख्यालय द्वारा प्रस्तावित की गई थी।

4.10 आधुनिक तकनीक अपनाने में विलम्ब

विभाग ने राज्य में विस्तृत वी0एच0एफ0 ग्रिड की स्थापना की थी जिसमें एनालाग स्थिर/मोबाइल रेडियों सेट, हैण्डहेल्ड रेडियो सेट एवं आई0पी0 आधारित नियंत्रक /रिपीटर सेट वर्ष 2014–15 तक प्रति वर्ष क्रय किये जा रहे थे। पुलिस महानिदेशक ने नवम्बर 2015 में निर्णय लिया कि एनालाग सेट किसी भी स्थिति में क्रय नहीं किये जायेंगे। इस प्रकार भविष्य में केवल डिजिटल रेडियो सेट खरीदे जाने थे। इसके अंतर्गत ₹ 1.96 करोड़ की लागत से खरीद के लिए प्रस्तावित 1,204 एनालाग सेट, डिजिटल सेटों से बदल दिये गये। विभाग ने वी0एच0एफ0 रेडियो ग्रिड में कार्य करने वाले सभी एनालाग सेटों को आयु पूरी करने (8 वर्ष) पर 2016–17 से प्रारम्भ करके 2023–24 तक वार्षिक रूप से चरणबद्ध रूप में बदलने का निर्णय किया। एनालाग सेटों के बदलने की प्रस्तावित आगणित लागत 12,046 अदद स्टेटिक/मोबाइल सेटों, 6418 हैण्ड हेल्ड रेडियों सेटों एवं 67 रिपीटर सेट के लिए क्रमश ₹ 36.13 करोड़, ₹ 19.25 करोड एवं रु 1.00 करोड़ थी। ये एनालाग सेट 2007–08 से 2014–15 तक क्रय किये गये थे। विभाग का 2014–15 तक लगातार एनालाग सेट खरीदना बहुत अविवेक पूर्ण था एवं संचार में आधुनिक उन्नत तकनीक को अपनाने के लिए दक्ष नियोजन की कमी को दर्शाता था।

4.11 आधे से अधिक जिलो में जी0पी0एस0 प्रणाली का कार्य न करना

जनपद झॉसी में जी0पी0एस0 प्रणाली से सुसज्जित 49 वाहन नगर नियंत्रण कक्ष से वाहनों की खोज के लिए जोड़े गये थे जिससे किसी अप्रिय घटना की स्थिति में नजदीकी वाहन को बिना विलम्ब स्थल तक पहुंचने के लिए निर्देशित किया जा सके। यद्यपि सम्प्रेक्षा ने पाया कि जी0पी0एस0 प्रणाली से सुसज्जित 49 वाहनों में से 28 वाहनों के जी0पी0एस0 तकनीकी कारणों से अगस्त 2015 से कार्य नहीं कर रहे थे। मुरादाबाद में मार्च 2014 एवं नवम्बर 2015 के अन्तगर्त 56 जी0पी0एस0 प्रणाली क्रय किए गये थे। परन्तु ये प्रणालियां कार्यशील नहीं थी क्योंकि पोस्टपेड सिम के किराया

प्रभार का भुगतान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप पुलिस वाहनों में आधारभूत तकनीकी क्षमता का अभाव था जैसे कि वाहनों की खोज के लिए नक्शों का उपयोग जोकि उबेर, ओला जैसी टैक्सी में भी उपलब्ध थे।

लेखापरीक्षा आपत्तियों पर शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

4.12 एक तिहाई से अधिक सी0सी0टी0वी0 कैमरों का अक्रियाशील रहना

सी0सी0टी0वी0 कैमरा भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबन्धन, महत्वपूर्ण घटना स्थलों का अनुश्रवण, शान्ति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं कानून व्यवस्था के प्रबन्धन हेतु पुलिस द्वारा उपयोग में लाये जाते हैं। महत्वपूर्ण नगरों में नगर निगरानी प्रणाली में भी सी0सी0टी0वी0 कैमरा उपयोग में लाये जाते है। जहॉ पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये गये हैं उन स्थानों पर घट रही क्रियाओं के अनुश्रवण के लिए ये कैमरे नियंत्रण कक्ष से जुड़े होते है।

सी0सी0टी0वी0 द्वारा नगर निगरानी

सम्प्रेक्षा ने पाया कि 15 नमूना जॉच जिलों में स्थापित 691 सी0सी0टी0वी0 कैमरों में से 269 (39 प्रतिशत) तकनीकी कमियों अथवा ए0एम0सी0 का अंतिमी करण न होने के कारण कार्य नहीं कर रहे थे। पुनः एक धार्मिक स्थल पर स्थापित 40 सी0सी0टी0वी0 कैमरों में से 13, वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक फैजाबाद द्वारा किये गये ए0एम0सी0 के लिए लगाई गई फर्म द्वारा असंतोषजनक सेवा के कारण कार्य नहीं कर रहे थे ***(परिशिष्ट 4.2)*** सी0सी0टी0वी0 कैमरों की असफलता ने कैमरा अधिष्ठापन के उद्देश्य को विफल किया एवं सामान्य लोगो के साथ–साथ अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन को खतरें में डाला। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल की सुरक्षा को जोखिम में डाला।

लेखापरीक्षा आपत्तियों पर शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

4.13 अक्रियाशील आधुनिक नियंत्रण कक्ष कानपुर

डायल 100 पर आवाहन करने पर आवाहन कर्ता को तुरन्त पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिए रेडियो मुख्यालय, लखनऊ द्वारा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, टेल कम्न्यूनिकेशनस कन्सलटेन्ट इन्डिया लिमिटेड के माध्यम से ₹ 6.60 करोड़ की लागत से कानपुर में आधुनिक नियंत्रण कक्ष (एम0सी0आर0) स्थापित किया गया था (फरवरी 2014)। एम0सी0आर0 ने फरवरी 2014 में कार्य प्रारम्भ किया। अनुबन्ध के अनुसार आपूर्ति कर्ता टी0सी0आइ0एल0 ने दो वर्ष की अवधि के लिए फरवरी 2016 तक उपकरणों का अनुरक्षण किया। सम्प्रेक्षा ने पाया कि दो वर्ष की वारण्टी अवधि समाप्त होने एवं विभाग की असफल ए0एम0सी0 के लिए अनुबन्ध करने के अनिश्चय के

कारण टी0सी0आइ0एल0 ने उपकरण चालू रखने के लिए सेवाएं देना बन्द कर दिया। परिणामस्वरूप एम0सी0आर0 ने कार्य करना बन्द कर दिया (फरवरी 2016) एवं इस प्रकार जनपद कानपुर में एम0सी0आर0 के माध्यम से संचालित होने वाली डायल 100 योजना ने कार्य करना विगत 6 माह से बन्द कर दिया। प्रणाली अब भी 31 अगस्त 2016 तक कार्य नहीं कर रहीं थी जिससे योजना पर किया गया व्यय ₹ 6.60 करोड़ अलाभकारी हो गया एवं परिणमस्वरूप राज्य पुलिस आकस्मिकता की स्थिति में आवाहक को सहायता उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं हो पायी।

शासन ने उत्तर में बताया (फरवरी 2017) कि आधुनिक नियन्त्रण कक्ष कानपुर की ए0एम0सी0 के लिए ₹ 1.55 करोड़ का प्रस्ताव महानिरीक्षक कानपुर जोन द्वारा पुलिस मुख्यालय को (मई 2016 में) भेजा गया था जो अभी तक लम्बित था।

4.14 मानव शक्ति की कमी

पुलिस संचार प्रणाली के संचालन एवं रखरखाव के लिए विभिन्न संवर्ग में रेडियो स्टाफ उत्तरदायी था। उपकरणों के संचालन एवं रखरखाव के लिए अराजपत्रित तकनीकी कर्मचारी मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। सम्प्रेक्षा ने पाया कि जुलाई 2016 तक अराजपत्रित रेडियो संवर्ग में 1431 (25 प्रतिशत) की कमी थी जिसमें निरीक्षक, उपनिरीक्षक, आपरेटर शामिल थे जो जिला रेडियो केन्द्र, जिला नियंत्रण कक्ष एवं रेडियों कार्यशाला के संचालन के लिए जिम्मेदार थे। आगे सम्प्रेक्षा ने पाया कि 18 नव स्थापित जिलों में अराजपत्रित श्रेणी में 612 पद स्वीकृत नहीं हुए थे।

स्वीकृति के विरूद्ध कर्मचारियों की कमी एवं नवसृजित जनपदों के लिए पद स्वीकृति में विफलता पुलिस संचार के संचालन एवं रख–रखाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती थी। संचार शाखा में 2006 के बाद कोई नियुक्ति नहीं हुई थी

सारणी 4.3: संचार शाखा में मानव शक्ति की स्थिति

पद नाम	स्वीकृत पद	उपलब्धता	कमी
राजपत्रित अधिकारी	63	41	22 (35 प्रतिशत)
अराजपत्रित अधिकारी	5,710	4,279	1,431 (25 प्रतिशत)
परिवहन शाखा	73	53	20 (27 प्रतिशत)
ग्रुप डी कर्मचारी	664	525	139 (21 प्रतिशत)
योग	**6,510**	**4,898**	**1,612 (25 प्रतिशत)**

(**स्रोतः** रेडियो मुख्यालय लखनऊ)

शासन ने अपने उत्तर (फरवरी 2017)में बताया कि राज्य के 18 जनपदो के मुख्यालय पर रेडियों प्रणाली के संचालन के लिए अराजपत्रित पद अभी तक स्वीकृत नहीं किए गए थे जबकि उपकरणें का प्रबन्धन आधुनिक योजना के अन्तर्गत किया जा रहा था।

क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम

क्राइम एण्ड़ क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम की निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2015–16 में सम्पादित की गयी तथा निष्कर्षों को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) 31 मार्च 2015 को समाप्त हुये वर्ष के लिए प्रतिवेदन के अध्याय–2 में सम्मिलित किया गया था। उल्लिखित प्रतिवेदन में अपर्याप्त परियोजना क्रियान्वयन तथा क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम को पूर्णतया परिचालन में गम्भीर विलम्ब पर समीक्षा/ टिप्पणी की गयी थी।

4.15 नेटवर्क बुनियादी ढांचा एवं निष्पादन

अनुबन्ध के अनुसार (अप्रैल 2012) भारत संचार निगम लिमिटेड को विभिन्न तकनीकों यथा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ओवर ब्राडबैण्ड (वी0पी0एन0ओ0बी0बी0), वन्र्ड वाइड इन्टर आपरेबिलटी फार माइक्रोवेव एक्सेस (वाई मेक्स) एवं वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनल (वी सेट) का उपयोग करते हुये पुलिस स्टेशनों/उच्चतर कार्यालयों से राज्य डेटा केन्द्र एवं राज्य डेटा केन्द्र से राष्ट्रीय डेटा केन्द्र तथा आपदा बहाली केन्द्र के मध्य नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना था। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध करायी गयी कनेक्टिविटी की स्थिति, नीचे सारणी में दर्शायी गयी है:

सारणी 4.4 मार्च 2016 तक कनेक्टिविटी की स्थिति

कनेक्टिविटी	कनेक्टिविटी की स्थिति			कनेक्टिविटी प्रतिशतता (उपलब्ध)
	अपेक्षित कनेक्टिविटी	उपलब्ध कनेक्टिविटी	अनुपलब्ध कनेक्टिविटी	
वी.पी.एन.ओ.बी.बी.	2171	1916	255	88
वी.पी.एन.ओ.वाई मैक्स	193	175	18	91
वी सेट	123	00	123	00
योग	**2487**	**2091**	**396**	**84**

(**स्रोतः** उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें कनेक्टिविटी प्रगति रिपोर्ट मार्च 2016)

उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि केवल 84 प्रतिशत कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी गयी थी।

भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ किये गये सेवा स्तरीय अनुबन्ध के अनुसार 97 प्रतिशत से अधिक अपटाइम उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना था। प्रणाली की अपटाइम प्रतिशत उपलब्धता की स्थिति नीचे सारणी में अंकित है:

सारणी 4.5: सिस्टम में अपटाइम प्रतिशत उपलब्धता की स्थिति

प्रतिशत उपलब्धता	100–80 प्रतिशत	79–60 प्रतिशत	59–40 प्रतिशत	39–20 प्रतिशत	19–01 प्रतिशत	शून्य प्रतिशत
लिंक्स की संख्या	951	723	183	81	153	396
						2,487

(**स्रोतः** उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें नेटवर्क अनुश्रवण प्रणाली रिपोर्ट (01 मार्च 2016 से 31 मार्च 2016)

यह परिचायक था कि 16 प्रतिशत स्थानों (396) पर अप लिंक कनेक्शन एक बार भी नहीं हुआ, जबकि केवल 38 प्रतिशत स्थानों (951) पर अपटाइम कनेक्टिविटी 80 प्रतिशत से अधिक थी, जो यह दर्शाता है कि नेटवर्क निष्पादन कमजोर था। भारत संचार निगम लिमिटेड/प्रणाली समाकलक/उत्तरप्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें के साथ इन मामलों (कमजोर नेटवर्क) को हल करने में विफल रहा यथा लाइन की

कमियों को समाप्त करने में असफलता मोडम की अनुपलब्धता, पर्याप्त बैण्ड विडथ की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा अति विलम्ब से कमियों को हल करना इसके कारक रहें।

4.16 मूल सेवाओं के लिये कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर का परिचालन एवं उपयोग

लेखापरीक्षा में पाया गया कि क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम अद्यतन पूर्ण रूप से परिचालित नहीं है। कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर के मूल माडॅयूलों में चार मॉडयूल सम्मिलित थे यथा प्रस्तुत शिकायतों को दर्ज करने एवं उस पर अनुक्रिया जनित करने के लिये पंजीकरण मॉडयूल, अपराध एवं जॉच विवरणों, गिरफ्तारी कार्ड, सम्पत्ति जब्ती आदि को दर्ज करने के लिये विवेचना मॉडयूल, किसी पंजीकृत अभियोजन से सम्बन्धित विस्तृत विवरणों को दर्ज करने के लिये अभियोजन मॉडयूल, नागरिकों द्वारा आन लाइन शिकायत दर्ज करने एवं शिकायतों की स्थिति देखने के लिये जन केन्द्रित पोर्टल एवं विशिष्ट मापदण्ड पर खोज से सम्बन्धित खोज आख्या मॉडयूल।

चयनित जनपदों में कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रियान्वयन के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि:

- चार मॉडयूलों में से केवल पंजीकरण मॉडयूल का उपयोग प्रथम सूचना रिपोर्टो के पंजीकरण हेतु, किया जा रहा है। शेष मॉडयूल यथा विवेचना, अभियोजन एवं खोज मॉडयूलों का उपयोग अद्यतन पुलिस प्राधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, यद्यपि सूचना तन्त्र विकसित हो चुके है।

- 1,504 पुलिस स्टेशनों में से केवल 1,461 पुलिस स्टेशन कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण कर रहे थे (मार्च 2016)। इस प्रकार कोर एप्लीकेशन के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण भी राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों में क्रियान्वित नहीं हुआ था।

- जन केन्द्रित पोर्टल सेवायें, जिन्हे पुलिस पोर्टल एवं एस.एम.एस. के द्वारा उपलब्ध कराया जाना था, को पूरी तरह से क्रियाशील किया जाना शेष था तथा 31 मार्च 2016 तक आरम्भ नहीं किया गया था।

- चयनित जनपदों से सम्बन्धित जनवरी 2013 से मार्च 2016 तक की कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर से प्राप्त रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि एप्लीकेशन साफ्टवेयर डेटाबेस के सम्पत्ति जब्ती मॉडयूल (एकीकृत सूचना प्रपत्र–iv) में बहुत कम सूचना उपलब्ध थी ***(परिशिष्ट 4.3)***

संस्तुतियाँ

- *राज्य पुलिस में संचार संजाल के बेहतर संचालन एवं अनुरक्षण के लिए मानव शक्ति की उपलब्धता, विशेषकर तकनीकी क्षेत्र में, उन्नत की जानी चाहिए।*

- *आवश्यक उपकरणों की प्राप्ति में शीघ्रता लाकर एवं अप्रचलित उपकरण/तकनीक प्रतिस्थापित करके बजट उपभोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*

- *प्राप्त उपकरणों का एएमसी नियोजित एवं यथा समय कार्यान्वित होना चाहिए।*